

राजभाषा विभाग के कार्य

राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं:-

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है।
2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।
3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।
4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।
5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।
6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।
8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।
9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।
10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।
11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।
12. स्वायत्तशासी एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं सहित राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए मांग के आधार पर हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

With a view to ensuring compliance of the constitutional and legal provisions regarding Official Language and to promote the use of Hindi for the official purposes of the Union, the Department of Official Language was set up on 26 June 1975 as an independent Department of the Ministry of Home Affairs. Since then, this Department has been making efforts for accelerating the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. In accordance with the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, this Department has been entrusted with the following items of work:-

1. Implementing the provisions of the Constitution relating to the Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.
2. Prior approval of the President for authorising the limited use of a language, other than English, in the proceedings in the High Court of a State.
3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the Official Language of the Union including Hindi Teaching Scheme for Central Government Employees and publication of magazines, journals & other literature related thereto.
4. Co-ordination in all matters relating to the progressive use of Hindi as the Official Language of the Union, including administrative terminology, syllabi, textbooks, training courses and equipment (with standardised script) required therefor.
5. Constitution and cadre-management of the Central Secretariat Official Language Service.
6. Matters relating to the Kendriya Hindi Samiti.
7. Co-ordination of work relating to the Hindi Salahkar Samiti set up by various Ministries/Departments.
8. Matters relating to the Central Translation Bureau.
9. Matters relating to the Central Hindi Training Institute including Hindi Teaching Scheme.
10. Matters relating to the Regional Implementation Offices.
11. Matters relating to the Committee of Parliament on Official Language.
12. To make arrangements for training in Hindi language, Hindi typing and Hindi shorthand for the employees of State Governments including autonomous and Local Self-Government Institutions on demand basis.
